निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 32/20

निर्णय दिनांकः—14.12.2020

1. मनभरी देवी पत्नी रामकुमार आयु 62 वर्ष
2. अनिता पुत्री रामकुमार आयु 34 वर्ष
3. विनोद पुत्र रामकुमार आयु 40 वर्ष
4. विरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार आयु 32 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)

——वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र श्योनाथ, जाति जाट, निवासी गोपालपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)
2. प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू (राज0)
3. प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

——————प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण – श्री रौनक हलवान
प्रतिवादीगण –

दावा घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार है कि

सरहद ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का लोटिया में श्योनाथ नाम व्यक्ति हुआ जिसके पांच पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह वादीगण का पति व पिता रामकुमार व अन्य तीन पुत्र दलीप , जुगलाल व ताराचन्द हुयें। उक्त श्योनाथ की पैतृक भूमि ग्राम गोपालपुरा में गत खसरा नं. 1 रकबा 19 बीघा 19 बिश्वा , खसरा नं0 22 रकबा 22 बीघा 15 बिश्वा व खसरा नं0 97/1 रकबा 8 बीघा 7 बिश्वा कुल 50 बीघा 16 बिश्वा भूमि रही जो उताराधिकार में श्योनाथ के सभी पुत्रों को बराबर बराबर प्राप्त हुई। उक्त श्योनाथ के वारासान वादीगण के पति व पिता रामकुमार व प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को गत खसरा नं. 22 रकबा 22 बीघा 15 बिश्वा उतराधिकार में प्राप्त हुई व उक्त भूमि [illegible] सी सहूलियत से बंटवारा कर काबिज काश्त रहे। यह कि सेटलमेंट के दौरान उक्त वर्णित गत खसरा नं. 22 के नया खसरा नं. 134 रकबा 2.79है0 खसरा नं. 119 रकबा [illegible] कायम हुये। परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने बगैर अधिकार के गलत तरीके से वर्णित आराजियात का अपने हिसाब [illegible] बंटवारा करते हुए भूमि खसरा नं0 119 जिसका रकबा 2.96है0 कायम किया गया मे से 2. 79है0 भूमि जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे थें। व अपने मकान आदि बना रखे थें गलत आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया व भूमि खसरा नं0 134 रकबा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

2.79है0 को गलत आधार पर वादीगण के पिता रामकुमार के हक में दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को इस प्रकार का विभाजन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त वर्णित आराजियात भूमि खसरा नं0 119 रकबा 2.96है0 मे से 2.79है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा स्वामित्व है व शेष भूमि खसरा नं0 119 में से 134 के लगती हुई 0.17है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा स्वामित्व है व भूमि खसरा नं0 134 रकबा 2.79है0 जो गलत आधार पर वादीगण के नाम से दर्ज पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा प्रारम्भ से चला आ रहा है व इसी मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हिस्से की भूमि पर अपने पुख्ता मकानात आदि बना रखे है। अब उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर भूमि खसरा नं0 134 रकबा 2.79है0 मौजा ग्राम गोपालपुरा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के हक में घोषित की जावे व भूमि खसरा नं0 119 रकबा 2.96है0 मे से 0.17है0 भूमि खसरा नं0 134 के लगती हुई का विभाजन कर अलग खसरा नं0 कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम घोषित की जावें। व शेष भूमि खसरा नं0 119 रकबा 2.79है0 को वादीगण के हक में घोषित की जाकर इस आशय की दुरूस्ती का आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। यह कि भूमि खसरा नं0 119 रकबा 2.96है0 मे से घोषित हिस्सा 0.17है0 का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर भूमि खसरा नं0 134 के लगती हुई 0.17है0 भूमि का अलग से खसरा नं0 कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज कर लगान निर्धारित किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। यह कि वादीगण ने अपनी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के यहां व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के यहां लोन ले रखा है व भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के यहां रहन है अब उक्त दुरूस्ती मुताबिक खसरा नंम्बर पर उक्त रहननामा स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है ताकि किसी प्रकार की भविष्य में कोई कानूनी पैचिदगी न रहें। यह कि अब दिनांक 16.05.2018 को वादीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर हल्का पटवारी को मौके पर बुलाया तो हल्का पटवारी द्वारा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी दी जिस पर वादीगण एकत्रित होकर उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 से अन्य रिकार्ड की नकल लेकर दिनांक 26.06.2018 को मिले तो प्रतिवादी संख्या 4 ने बगैर न्यायालय आदेश के उक्त दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया। तब उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तारीख की सूचना दी गयी। इसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। राजीनामा पेश होने पर बहस सुनी। पक्षकारान ने लोक अदालत की पवित्र भावना से आपस में विवादित आराजी का राजीनामा कर लिया। जो डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

आदेश

वाद वादीगण बसीगे राजीनामा डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा 134 रकबा 2.79है0 का प्रतिवादी नं. 1 हरिसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि खसरा नं. 119 रकबा 2.96है0 मे से 2.79है0 भूमि मुताबिक नजरी नक्शा ABCDEF भाग का विभाजन कर वादीगण (रामकुमार के वारीसान) के नाम अलग खाता विभाजन कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है व उक्त खसरा नं. 119 में से शेष रकबा 0.17है0 जो नजरी नक्शा में मार्क EFGD से दर्शाया गया है का विधिवत विभाजन कर अलग खसरा नं0 कायम कर प्रतिवादी नं. 1 हरिसिंह की खातेदारी में दर्ज किया जावें। उक्त भूमि पर एक पुख्ता कुआ मय विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 1519/0007 है जो वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के नाम से अ0वि0वि0नि0 शाखा सूरजगढ़ के यहां है जो 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 को घोषित किया जाता है व उस कुआ का अलग से खसरा न. कायम किया जावें। उक्त भूमि पर मुताबिक नजरी नक्शा एक रास्ता जो मार्क क ख ग दर्शाया गया है के मुताबिक रास्ता कायम कर शामलात में खातेदारी घोषित की जाती है। उक्त रास्ते की भूमि 0.015है0 प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में से कम की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner